न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 20/2020
GCMS No. – 2020/00058

1. लाला पिता चुन्नीलाल जी जाति मीणा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
2. सुगना पुत्री चुन्नीलाल जी जाति मीणा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. रतनी पुत्री चुन्नीलाल जी जाति मीणा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दलीचंद पिता बगदीया जी जाति मीणा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
3. उपपंजीयन अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री दिलीप सोनावा – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक :– 16.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए के आराजी नम्बर 2136 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2134 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए के आराजी नम्बर 2136 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/4 अंश, आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2134 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा निहीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. विपक्षीगण अपने अपने हक हिस्से पर बहामी बंटवाडे अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात में कॉलम सं. 1 में 1/4 एवं कॉलम सं. 2 में अकित

भूमि पर 1/2 हक हिस्सा निहीत है। और उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

4. प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 की पैत्रिक भूमि होकर संयुक्त व खाते कब्जेकाश्त की है। प्रार्थी के पिता कालूलाल के स्वर्गवास के पश्चात् विवादित भूमि प्रार्थी के पिता के नाम पर दर्ज रेकार्ड हुई। विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि से महरूम करने की नियत से विपक्षी सं. 1 को अपना निहीत 1/4 व 1/2 हक हिस्सा जो कि पैत्रिक पुश्तैनी है उसको दिनांक 20.07.1989 को रजिस्टर्ड रीलीज डीड से विपक्षी सं. 1 को रीलीज करा दी। जो अवैध एवं अनाधिकृत रूप से उक्त 1/4 व 1/2 हिस्से का समोचन (हक त्याग) विपक्षी सं. 1 के हक में कर दिया। उक्त समोचन अवैध व शून्य है।

5. रीलीज करने वाले चुन्नीलाल पिता उंकार मीणा की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी ने ही समस्त सामाजिक क्रियाकर्म सम्पादित किये है। फिर भी विपक्षी सं. 1 के बहकावे में आकर अपना निहीत संयुक्त रूप सें 1/4 व 1/2 हिस्सा विपक्षी सं. 1 के नाम पर प्रार्थी की सहमति लिये बिना समोचन हक त्याग कर दिया है। जो पूर्णतया अवैध एवं शून्य है। ऐसे हालात में विपक्षी सं. 1 के भरण पोषण का समस्त खर्च प्रार्थी के द्वारा वहन किया जा रहा है। विवादित आराजीयात जो रीलीज की गई हैं। वह प्रार्थी के हक के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य हैं क्योकि विवादित आराजीयात पैत्रिक पुश्तैनी सम्पत्ति है। बिना कोपार्सनर व विधि वारीसान की सहमति के बिना व बिना किसी वैध आवश्यकता के रीलीज नही की जा सकती है। विवादित आराजीयात चून्नीलाल के द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में की गई रीलीज डीड पैत्रिक पुश्तैनी सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति नही है। इसलिये इसका रीलीज डीड प्रार्थी के पिता के द्वारा विपक्षी सं. 1 के पक्ष में नही लिखा जा सकता है। और जीवन के अंतिम समय में बेटे व बहु के अलावा संभालने वाला अन्य कोई नही है इसी सूरत में यह रीलीज डीड शून्य है।

6. इस दस्तावेज में इन सारी सम्पत्ति को विपक्षी सं. 1 ने किस कारण से विपक्षी सं. 1 के हक में लिख दिया है। उसका कोई कारण इस दस्तावेज में नही रखा गया कि विपक्षी सं. 1 के पक्ष में की रीलीज चून्नीलाल पिता उंकार जी मीणा को प्राप्त हुई। विवादित भूमि में लाला मीणा प्रार्थी का जायन्दा पुत्र है। जिसमेंप्रार्थी का 1/4 व 1/2 जो विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है उसे प्रार्थी की बगैर सहमति के विपक्षी सं. 1 के पक्ष में समोचन विधि अनुसार नही कर सकती है फिर भी विपक्षी सं. 1 ने विधि विरूद्ध अवैधानिक तरीके से दिनांक 20.07.1989 को कर दिया है। जो प्रार्थी के हक अधिकार का समोचन नही कर सकती है। विपक्षी सं. 1 को अपना हिस्सा समोचन करने का कोई अधिकार नही है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested

7. विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रार्थी सं. 1 व विपक्षी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिससे पैत्रिक सम्पत्ति से प्राप्त हक व हिस्सा किसी एक व्यक्ति के पक्ष में समोचन नही किया जा सकता है बल्कि सभी कोपार्सनर (Coparcenar) के पक्ष में हक त्याग होगा। विपक्षी सं. 1 हक त्याग करने वाले ने

अपनी खानदानी सम्पत्ति का सम्पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया है और यह सम्पत्ति खानदानी है। जब सम्पत्ति खानदानी पैत्रिक पुश्तैनी हो तो उक्त समस्त सम्पत्ति का ट्रांसफर कोई भी व्यक्ति भेंटपत्र द्वारा कर देता है तो वह भेंटपत्र भी कानून में शून्य माना गया है। उसे पूर्णतया शून्य माना गया है। उसे शून्य घोषित कराने की भी आवश्यकता नही है। उस भेंटपत्र को खारीज कराने की आवश्यकता नही है। चूंकि वह भेंट पत्र प्रारम्भ से पूर्णतया शून्य है।

8. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 की और से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सोनावा ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया किः–

- विपक्षी न० 1 के नाम निम्बाहेडा–ए की आराजी न0 2136 रकबा 0.3400 हे० आराजी राप्ती न0 1126 रकबा 0.3800 हे० आराजी न0 2135 रकबा 0.1300 हे० भमि विपक्षी की खातेदारी की होना स्वीकार है। उक्त भूमि का विपक्षी न० 1 रेकार्डेट खातेदार है प्रार्थीगणों का इसमें कोई हक हिस्सा नही है उक्त सम्पूर्ण भूमि विपक्षी न० 1 के कब्जे काश्त की है इसमें कोई बटवाडा नही किया हुआ है उक्त सम्पूर्ण सम्पति का एक मात्र मालिक विपक्षी न0 1 है। उक्त चरण में वर्णित दिनांक 20.07.1989 को किसी प्रकार की कोई रिलीज डीड विपक्षी ने नही करवाई है।
- उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पुश्तैनी होना स्वीकार है उक्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने काका बगदीया मीणा को दिनांक 11.07.1989 को रजिस्टर्ड हकत्याग से दी गई है क्यों की उस समय उसके पास और भी जमीन थी इस कारण उसने उक्त जमीन अपने काका को हकत्याग के जरिये दी तथा वर्तमान में विपक्षी स० 1 उक्त भूमि का एक मात्र मालिक व स्वामी है।
- प्राथीगणों व विपक्षी पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनिय 1956 लागू नही होता है चुकी प्रार्थी अनुसुचित जन जाति के सदस्य हे उनके पिता द्वारा जो रजिस्टर्ड हकत्याग कर दी है उसे निरस्त कराने के अधिकारी नही है ना ही किसी प्रकार का कोई बटवाडा कराने के अधिकार नही है। प्रार्थीगणों के पिता ने जिस समय उक्त्त भूमि अपने काका बगदीया मीणा पंजीकृत हकत्याग से दी है उस समय वह एक मात्र मालिक थे तथा प्रार्थीगणों को जन्म नही हुआ था इस कारण वह उक्त भूमि में किसी प्रकार कोई हक प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना कोई बटवाडे कराने अधिकार है।
- प्रार्थीगणों के पिता ने किसी प्रकार का कोई भेट पत्र या वासीयत नामा उक्त भूमि के सम्बंध में विपक्षी न० 1 के पिता के नाम पर कभी नही किया मात्र एक रजिस्टर्ड एक हकत्याग पत्र किया था जिसको किये हुए भी 50 वर्ष से अधिक समय हो गया है इस कारण प्राथीगण विपक्षीगण के [illegible] किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र के [illegible] पत्र के साथ प्रार्थीगणों ने कोई लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है इस कारण यह प्रार्थना पत्र व दावा चलने योग्य नही है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested

- प्रार्थीगण के पिता चुन्नीलाल की मृत्यु का समस्त कार्यक्रम उसके काका बगदीया ने किया था ना की प्रार्थीगणों ने और प्रार्थीगणों का उक्त भूमि में कोई हिस्स शेष नही है और जहकत्याग पत्र प्राथीगणों के पिता ने किया था वह सही किया था उसे निरस्त कराने का प्रार्थीगणों को कोई हक अधिकार नही है।
- विपक्षी न० 1 के पिता के पक्ष में हकत्याग पत्र का पंजीयन करवाया था वह निम्बाहेडा के मौतबिर लोगों की उपस्थित में करवाया था तथा रजिस्ट्र महोदय ने उक्त हकत्याग पत्र को पढ सुन समझ कर समझाया था जिसे उन्होने सही होने स्वीकार किया और अपना अंगुठा निशानी की और उक्त भूमि अपने काका को देना स्वीकार किया और हकत्याग पत्र में भी उसने अपने पास ओर भी जमीन होना लिखाया है और उक्त जमीन काम में नही आ रही थी इस कारण उक्त जमीन का हकत्याग अपने काका के पक्ष में किया था। जिसे निरस्त कराने का कोई हक अधिकार प्रार्थीगणों को नही है ना ही कोई किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विपक्षी न० 1 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नही है जबकी प्रार्थीगण विपक्षी को जबरन झुठे वाद व प्रार्थना पत्र के आधार पर नाजायज रूप से परेशान कर उससे रूपयों की मांग कर रहे है इसलिये विपक्षी न० 1 उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त का अधिकार है।
- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें विशेष हर्जाने के तौर पर 10 हजार रूपये कि राशि विपक्षी न० 1 को दिलाई जावें।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा, खर्चा सहित खारिज करने का निवेदन किया गया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पुश्तैनी प्रार्थीगण पुश्तेनी आराजियात है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सजरे अनुसार पुश्तैनी आराजियात होने से उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत [illegible] होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त प्रार्थीगण को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात

पर विपक्षीगण द्वारा किसी अन्य को हस्तांतरित की गई तो विवाद बढेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया ज़ाना आवश्यक है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. **सुविधा का संतुलन :–** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पक्षकारन की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए विवेचन के आधार पर पक्षकारानें के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए के आराजी नम्बर 2136 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1126 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2134 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखे एवं किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे न करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested